

**वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,**

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: FCA/e-990839/1023

दिनांक: 12/07/2023

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 1.88 ha. of forest land infavour of Project Director, NHAI, Ambala for Construction of Ambala Ring for development of four Laning from Design change k.m. 18.226 to 40.750 under various forest Strips Bharatmala Pariyojna Phase-1 (Economic Corridor), under Froest Division & District Ambala, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/ ROAD/155991/2022

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला द्वारा NAHI PIU Ambala . के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 1.88 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 614 वृक्ष (वाल्युम 331.18 m³) बाधक है जो कटवाए जाएंगे व इसके अतिरिक्त 1340 पौधों भी नष्ट होंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी।

क्र०सं०	विवरण	अम्बाला	मौरनी-पिंजोर	कुल राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	63482	1068768	1132250
2.	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	531658	0	531658
3	6 Sticks individual fencing Charge	0	167868	167868
4	Supervisory Charges	12696	213754	226450
5.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड	1800626	0	1800626
6.	फैलिग चार्जिज	397416	0	397416
	कुल	2805878	1450390	4256268

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Ratour Sec 4&5 Naringarh Range पर 1500 पौधों व C-2, Tall Beat, Meerpur Block, Raipur Rani range पर 3600 पौधों लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। अतः उक्त प्रस्ताव आपको ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से प्रेषित है। कृपया वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक(एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला ।

क्रमांक: FCA/e-990839/1024

दिनांक: 12/07/2023

एक प्रति क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को प्रेषित है।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
हरियाणा, पंचकुला ।

Full Title of the Project : Diversion of 1.88 ha. of forest land infavour of Project Director, NHAI, Ambala for Construction of Ambala Ring for development of four Laning from Design change k.m. 18.226 to 40.750 under various forest Strips Bharatmala Pariyojna Phase-1 (Economic Corridor), under Froest Division & District Ambala, Haryana.

1
Online Proposal No. FP/HR/ ROAD/155991/2022

PART – IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator Forests or Head of Forest Dept.)

17.	Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks. (while giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon.)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : _____

Place : **Panchkula**

Signature
Name
Office Seal


Principal Chief Conservator of Forests
Haryana, Panchkula